

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय—आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रायि/स्थानान्तरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्री शंकर लाल बैरवा व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि महेश्वरा कलां, दौसा का स्थानान्तरण राउमावि खोह, कठुगर, अलवर किया गया। श्री शंकर लाल बैरवा ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान शिविर सेवा अपील अधिकरण, जयपुर की अपील संख्या 3504/2019 श्री शंकर लाल बैरवा बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3504/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.19 द्वारा अपीलार्थी श्री शंकर लाल बैरवा को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी वेदना व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश किये जाने की रिप्टि में इसे विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत निरस्तारण करने तथा ऐसे निरस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के आदेश प्रदान किये।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी श्री शंकर लाल बैरवा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्थानान्तरण निवास स्थान से 650 किमी दूर होने के आधार पर अपना समायोजन शहीद घनश्याम गुर्जर राउमावि खवारावजी, दौसा/राउमावि लवाण, दौस एवं राउमावि कावलेश्वर, दौसा में करने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य विकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानान्तरण के निर्देश प्राप्त है। अपीलार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

यह विधि सुरक्षापूर्ति सिद्धांत है कि लोक सेवकों द्वारा अपना पदस्थापन इच्छित स्थान पर किये जाने की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर दिनांक 06.11.19 को कार्यग्रहण किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी द्वारा अन्यत्र समायोजन की मांग तर्कसंगत नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(हिमांशु गुप्ता)  
आई.ए.एस.  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक:- ०५/०१/२०१९

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-6/अभ्यावेदन/स्थानान्तरण/को.के/19-20  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा।
4. जि.शि.अ. (माध्य-विधि)।
5. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक राउमावि।
8. गार्ड पंजिका।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर